सं.ई. 11016/02/2018-हिन्दी /244

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 09.05.2019

परिपत्र

विषय: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2019-20 का वार्षिक कार्यक्रम ।

भारतीय संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष हिन्दी के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इस वर्ष भी राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है और यह राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/सेल/संगठनों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2019-20 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को नियत समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें और प्रत्येक तिमाही में की गई कार्रवाई से हिन्दी अनुभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में

1. मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/सेल/विंग।
2. मंत्रालय के सभी संगठन।

सूचनार्थ

1. माननीय मंत्री, ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय के निजी सचिव/ माननीय राज्यमंत्री, ज.सं., न.वि और गं.सं मंत्रालय के निजी सचिव।
2. माननीय सचिव के प्रधान निजी सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशासन) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीडब्ल्यू) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी के निजी सचिव ।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% **4.** क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **100%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% **4.**ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **90%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% **4.** ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **55%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	**25%**(न्यूनतम)	**25%**(न्यूनतम)	**25%**(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**		